सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्या:– 255/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–13.11.2024

1. मैसर्स जय हनुमान कला उद्योग प्रोपराईटर नरेश कुमावत आ0 हजारीलाल कुमावत निवासी अशोक नगर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 16/05/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 4237/2846 रकबा 0.0324 हैक्टेयर मैसर्स जय हनुमान कला उद्योग प्रो0 नरेश कुमावत हिस्सा पूर्ण अशोक नगर लीजदार 99 वर्षीय जमाबंदी सम्वत 2076 से सम्वत 2079 की खतौनी संख्या 922 में दर्ज है भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। ग्राम बडानयागांव की भूमि खसरा संख्या 2846/3704 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में से 0.04 बीघा भूमि जय हनुमान कला उद्योग निर्मित मूर्ति व पत्थर घडाई वास्ते प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.1.2008 को 99 वर्षीय लीज पर दी गई थी जिसमें मय नक्शा ट्रेस दिशा ज्ञान सहित राज्य सरकार द्वारा पट्टा जारी किया गया था। पट्टा की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है, उक्त आवंटित भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 4237/2846 दर्ज किये गये है। राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी को लीज पर आंवटित की गई भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के सहारे स्थित है, और प्रार्थी को लीज पर आंवटित की गई भूमि पर प्रार्थी जय हनुमान कला उद्योग निर्मित मूर्ति व पत्थर घडाई का कार्य करता आ रहा है। प्रार्थी को आंवटित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के सहारे है ओर आवंटित भूमि जो वर्तमान जमाबंदी में 4237/2846 की वर्तमान नक्शे में तरमीम प्रार्थी के कब्जे से भिन्न स्थान पर यानि खसरा संख्या 4165/2846 के सहारे कर दी गई है जबकि जिस स्थान पर खसरा संख्या 4237/2846 की तरमीम की गई है उक्त स्थान पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में खसरा संख्या 4165/2846 के समीप प्रार्थी की भूमि की की गई तरमीम नियम विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

को लीज पर आंवटित भूमि खसरा संख्या 4237/2846 प्रार्थी जहा काबिज है और पट्टे के अनुसार प्रार्थी जहा काबिज है उक्त जगह को ऑनलाईन सर्च करने पर उक्त भूमि सिवायचक के रूप में रिकॉर्ड में दर्शित होती है और प्रार्थी की उक्त आंवटित भूमि की तरमीम कब्जे से भिन्न स्थान पर कम्पटराईज नक्शे में दर्शा दी गई है। उक्त तरमीम दुसरे स्थान पर कर देने से कब्जा व तरमीम में. भिन्नता पैदा हो गई है जबकि कानूनन तरमीम का मुख्य आधार कब्जा होता है। और कब्जे के अनुरूप ही तरमीम की जानी चाहिए। भूमि खसरा संख्या 4165/2846 का मूल रकबा लगभग 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कंचन इण्डस्ट्रीज के नाम था जिसमें लगभग 12 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 में अवाप्त हो गई जिसका मुआवजा संबंधित खातेदारान ने प्राप्त कर लिया। शेष 18 बिस्वा भूमि नरेश कुमावत आ0 हजारीलाल कुमावत ने कंचन इण्डस्ट्रीज से अपने नाम ट्रान्सफर करवाकर लीज अपने नाम दर्ज करवाई, इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमि अवाप्ति के बाद शेष रकबा सडक के सहारे शेष रहता है जो नरेश कुमावत पुत्र हजारीलाल कुमावत के नाम होना चाहिए लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग व नरेश कुमावत आ0 हजारीलाल कुमावत की भूमि के बीच में पट्टे की 04 बिस्वा भूमि जय हनुमान कला उद्योग के नाम तरमीम करना गैर कानूनी है। इस कारण भी राष्ट्र्य राजमार्ग व भूमि खसरा संख्या 4165/2846 के बीच में प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 4237/2846 की तरमीम गलत की गई है। राज्य सरकार द्वारा सभी आंवटित गैर खातेदारों की भूमियों की तरमीम करने हेतु डी0आर0एल0एम0पी0 योजना चलाई थी जिसके तहत पटवारी कानूनगों द्वारा सभी आवंटितयों की गैर खातेदारी की भूमि की तरमीम किया जाना आवश्यक था। और राज्य सरकार ने तरमीम करने हेतु एक निश्चित समय निर्धारित किया गया था। लेकिन पटवारी काननूगों के पास कार्य क्षेत्र अधिक होने और तरमीम करने का समय कम होने से पटवारी कानूनगो द्वारा मौके पर जाकर भूमि का भौतिक सत्यापन किये बिना दफ्तर में बैठकर ही भूमि की तरमीम कर दी गई है इस कारण ऑन लाईन जो नक्शे तैयार किये गये है उनमें कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम हो गई है। प्रार्थी की भूमि की तरमीम भी इसी कारण कब्जे से भिन्न स्थान पर हो गई है जिसको निरस्त करवाकर प्रार्थी के कब्जे के स्थान पर ही तरमीम करने के लिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी को लीज पर आंवटित की गई भूमि के पट्टे में प्रार्थी की भूमि की चतुर्सीमा अंकित की गई है जिसके पूर्व में खेती की जमीन रामप्रसाद मीणा की, पश्चिम में :—नेशनल हाईवे न.12 वर्तमान में 52, उत्तर में:—खेती की जमीन धापू पत्नी घासी मीणा, दक्षिण में :—राजकीय सिवायचक भूमि है। और प्रार्थी की भूमि की तरमीम पट्टा विलेख में अंकित चतुर्सीमा के अनुरूप की जानी चाहिए थी, लेकिन पट्टे में अंकित चतुर्सीमा से भिन्न व प्रार्थी के कब्जे से भिन्न स्थान पर नक्शे में तरमीम कर दी गई है। तरमीम के उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी पीडित व प्रभावित है, जिसमें प्रार्थी को उक्त तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त करवाने व कब्जे के अनुरूप प्रार्थी को उक्त तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त करवाने व कब्जे के अनुरूप प्रार्थी की भूमि की तरमीम करवाने का प्रार्थी को हक अधिकार है। प्रार्थी ने दिनांक 28.10.2024 को नक्शे की नकल निकवाई एवं उक्त तरमीम को ऑन लाईन देखा गया तो प्रार्थी के कब्जे से भिन्न स्थान पर उक्त तरमीम पाई गई, तथा गलत तरमीम की जानकारी मिलने पर प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली के समक्ष उपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

होकर प्रार्थी की भूमि की तरमीम कब्जे के अनुरूप करवाने व नक्शे में प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 4237/2846 की की गई तरमीम के इन्द्राज को निरस्त करने हेतु निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना तरमीम के इन्द्राज को निरस्त करने से इंकार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी की लीजदारी भूमि की तरमीम पट्टे में अंकित चतुर्सीमा के अनुरूप प्रार्थी के कब्जे के स्थान पर करवावे व प्रार्थी के कब्जे से भिन्न स्थान पर की गई तरमीम के इन्द्राज को निरस्त करवावे। नक्शा व मानचित्र में किये गये गलत इन्द्राज को निरस्त करने का श्रीमान को लेण्ड रिकॉर्ड आफिसर की हैसियत से अधिकार प्राप्त है। भूमि अशोक नगर पटवार मण्डल बडानयागांव तहसील हिण्डोली में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर भूमि खसरा संख्या 4237/2846 रकबा 0.0324 हैक्टेयर वाके ग्राम बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त किया जाकर व राष्ट्रीय राजमार्ग व भूमि खसरा संख्या 4165/2846 के मध्य प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 4237/2846 की तरमीम के इन्द्राज को निरस्त कर पट्टे के अनुरूप पट्टे में विर्णित सीमाबंदी व प्रार्थी के कब्जे के स्थान पर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 4237/2846 की तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक :– राजस्व/25/870 दिनांक 23.04.2025 के अनुसार खसरा संख्या 4237/2846 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। नक्शा शीट में जहॉ खसरा संख्या 4237/2846 की तरमीम हो रही है वहॉ खातेदार का कब्जा नहीं होकर पट्टे अनुसार एन0एच0–52 के समीप प्रस्तावित तरमीम अनुसार है। खसरा संख्या 4237/2846 व अन्य खसरा नम्बरान की तरमीम डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत की गई है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा भी वर्तमान तरमीम को खारिज कर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के तरमीम किया जाना अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अंधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत ''सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जॉच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

विवादित भूमि वाके अशोक नगर पटवार मण्डल बडानयागांव के खाता संख्या 922 के खसरा संख्या 4237 / 2846 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 922 के खसरा संख्या 4237 / 2846 वाके अशोक नगर पटवार मण्डल बडानयागांव की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खाता संख्या 922 के खसरा संख्या 4237 / 2846 की तरमीम प्रार्थी के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 16.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

16/05/2025.

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446